

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: **UPFS/2026/200451/ALG/ALIGARH/3598/CFO**

दिनांक: **26-05-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **PATHFIELD INTRNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GATA NO- 261 BIRPURA, BIRPURA, ALIGARH** तहसील - **GABHANA**, प्लॉट एरिया **8316.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3792.08** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
PATHFIELD INTRNATIONALSCHOOL	3	0	10.35 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **PATHFIELD INTRNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **31-05-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PUNEET SHARMA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-06-2026** से **01-06-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **PATHFIELD INTRNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **PATHFIELD INTRNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : FSSO गभाना के भौतिक/निरीक्षण/संस्तुति पर अपलोड अभिलेखों एवं पूर्व निर्गत 3041/cfo dt 6.6.25 के अनुक्रम में मानचित्र में इंगित स्कूल शैक्षणिक भवन (G+2) तल हेतु F&E act 2022 व up F&E Rules 2024 का अनुपालन करने की शर्तों/उपबंधों के अधीन Renewal noc निर्गत किया जा रहा है जिसमें अहर्भिकर्ता से प्रत्येक जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 3-भवन स्वरूप की वैधता, मानचित्र स्वीकृत सत्ताप्राधिकारी की शर्तों का अनुपालन न करने/भवन संरचना में बदलाव करने/समय से नवीनीकरण न कराने/अभिलेख असत्य होने /अग्निशमन व्यवस्थाओं का हमेशा कार्यशील न बनाये रखने पर उक्त noc को स्वतः निरस्त माना जायेगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Mukesh Kumar)

[85DF6BE0BEC05EC150FCC5B7FD591D0AD712110A]

02-06-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **02-06-2026**
स्थान : **ALIGARH**

PathField International School

Sanchar
Principal

PathField International School

Ant
Manager